बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या– FC/13/2022- 280

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह, भा०व०से०
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री अजीत कुमार,
पिता–श्री किशोर यादव,
मौजा–समदा, थानार–गुरूआ,
जिला–गया, पिन–824231

पटना 14, दिनांक– 05/03/2025

विषय– श्री अजीत कुमार द्वारा गया जिलान्तर्गत समदा मौजा के खाता संख्या–02, प्लॉट संख्या–647, थाना संख्या–703, थाना–गुरूआ में गया–शेरघाटी पथ के किनारे NX100 Pacific Biofuel Pvt. Ltd. का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 0.015 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक पत्र दिनांक 14.02.2025 (छायाप्रति संलग्न)

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 14.02.2025 द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर 29 शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. सैद्धांतिक स्वीकृति के कंडिका–ii के आलोक में क्षतिपूरक वनरोपण मद में 100 पौधों के रोपण का दस वर्षीय प्राक्कलन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या–03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर (रू. 412/प्रति मा.दि.) के आधार पर रू. 8,97,311/– (आठ लाख सनतानवे हजार तीन सौ ग्यारह रूपये) मात्र की राशि को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।

उक्त राशि का आकलन वर्तमान मजदूरी दर रू. 412 प्रति मानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनरोपण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतेय होगा।

3. सैद्धांतिक स्वीकृति के कंडिका–iv के आलोक में अपयोजित होने वाली वन भूमि कुल– 0.015 हेक्टेयर के लिए NPV की राशि रू. 9,57,780/– प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रू० 14,367/– (चौदह हजार तीन सौ सड़सठ रूपये मात्र) को प्रयोक्ता एजेन्सी विभाग को उपलब्ध कराएगी।

4. सैद्धांतिक स्वीकृति के कंडिका–v के आलोक में Penal NPV की शर्त्त अधिरोपित की गयी है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा समर्पित अपराध प्रतिवेदन के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्ष 2024 में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है। तदआलोक में MoEF&CC, New Delhi के पत्रांक 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा Penal NPV मद में NPV मद के समतुल्य राशि रू. 14,367/– मात्र का प्रति वर्ष (अधिकतम 5 वर्ष तक) 12 प्रतिशत ब्याज की राशि सहित रू. 16,091/– (सोलह हजार इक्यानबे रूपये) मात्र वन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपर्युक्त क्रमशः कंडिका 2, 3 एवं 4 की राशि क्रमशः रू. 8,97,311.00 (+) रू. 14,367.00 (+) रू. 16,091.00 अर्थात कुल रू. 9,27,769.00 (नौ लाख सताईस हजार सात सौ उनहत्तर रूपये) मात्र को विभागीय वेवसाईट parivesh.nic.in से सर्वप्रथम e-challan Generate करने के उपरांत Download किया जायेगा तथा संबंधित बैंक खाता में राशि हस्तान्तरित किया जायेगा।

6. राशि हस्तान्तरित करने के उपरांत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस कार्यालय को UTR No. एवं दिनांक के साथ मूलप्रति उपलब्ध करायी जायेगी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र में अधिरोपित शर्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को समर्पित करेंगे, ताकि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय के रॉची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से विषयाधीन मामले पर अन्तिम स्वीकृति (Stage- II Clearance) प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(सुरेन्द्र सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक FC/13/2022- 280 दिनांक 05/03/2025

प्रतिलिपि : वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया को प्रासंगिक पत्र की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि क्षतिपूरक वनरोपण मद में 100 पौधों के रोपण का दस वर्षीय प्राक्कलन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या–03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर (रू. 412/प्रति मा.दि.) के आधार पर प्रयोक्ता एजेंसी एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

अनु०–यथोक्त।

ह०/–

(सुरेन्द्र सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक FC/13/2022- 280 दिनांक 06/03/2025

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, गया अंचल, गया को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेन्द्र सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।